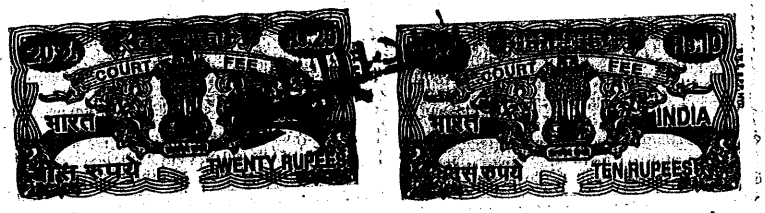

84

न्यायालयः समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. निग/ /2017 R112-I/17

(1) जोगेन्द्र सिंह पुत्र दिलीप सिंह

(2) कुलदीपकौर पत्नी सतनाम सिंह

(3) गुरूप्रीत सिंह पुत्र रिक्षपाल सिंह

(4) प्रकाश पुत्र कश्मीर सिंह

(5) गुरूपाल पुत्र कश्मीर सिंह

(6) प्रीतम सिंह पुत्र संतोष सिंह

(7) संतोष सिंह पुत्र हरिसिंह

(8) बंसत सिंह पुत्र सिंगारा सिंह

(9) रमेश पुत्र कन्हैया

(10) मनजीतकौर पत्नी बलवंत सिंह

(11) चरणजीत कौर पत्नी बसंत सिंह

(12) लखविन्द्रकौर पत्नी हरजिन्दर सिंह

(13) जसवंत सिंह पुत्र मूलसिंह जाट सिख

सभी निवासी ग्राम प्रेमपुरा हवेली

तह. श्योपुर, जिला-श्योपुर (म.प्र.)

H.V. Dubey Adv.

H.V. Dubey (Advocate) Dist. Court Sheopur

श्री एच. वी. दुबे, अभि. द्वारा आज दि. 6-1-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

............आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

(1) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर

जिला- श्योपुर (म.प्र.)

......अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 21/10-11/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश 08/10/2013 से व्यथित होकर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/112/एक/2017 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8-2-17	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 21/2010–11/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 08–10–2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि तहसीलदार श्योपुर ने 8/2004–05/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 10–11–2005 के विरूद्ध ग्राम प्रेमपूरा तहसील श्योपुर की भूमि का बीहड़ बंटन किया गया था। जिसे राजस्व मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ/4–4/2003/सात/2ए भोपाल दिनांक 10–04–2003 के अंतर्गत किया गया था। परन्तु कुछ शिकायतों के द्वारा कलेक्टर श्योपुर ने तहसीलदार श्योपुर से अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन लिया एवं प्रतिवेदन के आधार पर अपने न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 21/2010–11/स्वमेव निगरानी दर्ज किया तथा प्रकरण में दिनांक 08/10/2013 को आदेश पारित कर तहसीलदार श्योपुर द्वारा किया गया आवंटन निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी	

प्रस्तुत की गई है।

3- निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के पक्ष सुने तथा आवेदकगण की ओर से उपलब्ध दस्तावेजों का अंवलोकन किया गया।

4- आवेदकगणों के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया की वादित भूमि का बंटन तहसीलदार श्योपुर द्वारा आवेदकगण को वर्ष 2005 में किया गया था। जिसे शिकायत के आधार पर कलेक्टर द्वारा 5 वर्ष उपरान्त स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया गया है। जो कि अवैधानिक है क्योंकि प्रथमतः शिकायत के आधार पर स्वमेव निगरानी में प्रकरण नहीं लिया जा सकता। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलीय आदेश था जिसके विरूद्ध अपील करना चाहिए थी। इस संबंध में उनके द्वारा न्याय दृष्टांत 1981 आर.एन. 333 (उच्च न्यायालय) 2007 आर.एन. 71 के न्याय दृष्टांत का सन्दर्भ देते हुये कहा गया की इस ओर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह तर्क भी दिया गया आवेदकगण को हुये बंटन की जानकारी शिकायतकर्ता को पूर्व से थी यदि शिकायतकर्ता को कोई आपत्ति थी तो

	उसे अपील करनी चाहिए थी। अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया प्रकरण में जो कार्यवाही हुई है वह मनमाने तरीके से सोची समझी साजिश के तहत की गई है यह भी कहा गया की स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्ति–युक्त समय के भीतर नहीं किया गया युक्ति–युक्त समय की अवधि कुछ माह ही हो सकती है अन्त में उनके द्वारा यह तर्क दिया गया आवंटित की गई भूमि को आवेदकगणों द्वारा काफी मेहनत से एवं धन खर्च कर कृषि योग्य बनाया है। एवं कलेक्टर उक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया है, आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह बताया गया है कि आवेदक क्रमांक 07 व 09 के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। 5– मध्यप्रदेश शासन के शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित होने से निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया। 6– उभयपक्षों के अभिभाषक द्वारा किये गये तर्कों एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण के पक्ष में आवंटन वर्ष 2005 में किया गया था जिसे शिकायत के आधार पर कलेक्टर श्योपुर द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया जाकर निरस्त किया गया है। जो विधि सम्मत नही है इस संबंध में न्याय दृष्टांत 2002 आर.एम.	

	156 एवं 2006 आर.एम. 313 अवलोकनीय है इन न्याय दृष्टांतों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्वमेव निगरानी की कार्यवाही शिकायत के आधार पर नहीं की जा सकती और ना ही न्यायालय अपनी ओर से प्रतिस्थापित कर सकता है एवं कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी की कार्यवाही 5 वर्ष उपरान्त प्रारम्भ की गई है जो कि न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में युक्ति–युक्त अवधि नही मानी जा सकती। किसी भी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु न्याय दृष्टांत 1998 (1) म.प्र. वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 वर्ष की अवधि को युक्ति–युक्त अवधि नही माना गया है। इसी प्रकार आई.एल.आर. (2011) मध्यप्रदेश 1 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा मध्यप्रदेश शासन) में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्याय दृष्टांतों का सन्दर्भ देते हुये यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा की शक्तियों का प्रयोग पुनरीक्षण प्राधीकारी द्वारा उसके अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाहियों की अनियमितता की तारीख से 180 दिन के भीतर ही किया जा सकता है। उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में कलेक्टर श्योपुर द्वारा पारित आलौच्य आदेश न्याय संगत एवं विधि सम्मत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है।	

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर श्योपुर द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 21/2010–11/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 08–10–2013 अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार श्योपुर को आदेश दिया जाता है की आवेदकगण का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये।

(एम०के० सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर